रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012022-232472
CG-DL-E-06012022-232472

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 6, 2022/पौष 16, 1943
No. 10] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 6, 2022/PAUSHA 16, 1943

गृह मंत्रालय

(सीटीसीआर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2022

सा.का.नि. 10(अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, गृह मंत्रालय में प्रधान सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण प्रधान सूचना अधिकारी (समूह 'क') भर्ती नियम, 2022 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर, वे होंगे जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे किसी भी व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी भी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:-** इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रधान सूचना अधिकारी	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100-215900 रु.)	लागू नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा;

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूदा है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति; केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र के अधीन, अधिकारी ने – (क) (i) मूल काडर अथवा विभाग में नियमित रूप से समतुल्य पदों पर काम किया हो; अथवा (ii) मूल काडर अथवा विभाग में वेतन मेट्रिक्स में स्तर 12 अथवा समतुल्य पदों पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में पाँच वर्ष तक नियमित सेवा दी हो	1. लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव धारक अधिकारी:- आवश्यक: (i) मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक की डिग्री। (ii) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के संगठन में प्रकाशन अथवा पत्रकारिता के कार्य का दस वर्ष का अनुभव **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया: पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख पर छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 45021/21/2019-एनआईए]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव (सीटीसीआर)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

[CTCR Division]

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2022

G.S.R. 10(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 read with clause (a) of sub-section (2) of section 25 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Principal Information Officer in the National Investigation Agency, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement**.–(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency Principal Information Officer (Group 'A') Recruitment Rules, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix**.– The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in the columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc**.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**.–No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Principal Information Officer	01* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Level-13 Rs. 123100 - 215900) in the pay matrix	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruit.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation; Officers under the Central Government or State Government or Union territories - (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-12 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience :- **Essential:** (i) Bachelor Degree from a recognised university or institute; and (ii) Ten years experience in publicity or journalistic work in a Central Government or State Government or Union territories Organisation. **Note 1**.- Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. **Note 2.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. 45021/21/2019-NIA]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy. (CTCR)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.06 21:18:13 +05'30'